



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 16, गुरुवार, शाके 1942-अक्टूबर 8, 2020
Asvina 16, Thursday, Saka 1942-October 8, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 08, 2020

एस.ओ.381 :-राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2020 है।
(2)ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2.नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 के नियम 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2019 या ऐसी वास-सुविधा के उपभोग की तारीख जो भी पश्चात्पूर्ती हो से 30,000 /- रुपये प्रतिमाह” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अक्टूबर, 2020 या ऐसी वास-सुविधा के उपभोग की तारीख जो भी पश्चात्पूर्ती हो से 50,000 /- रुपये प्रतिमाह” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सख्या. एफ 22(1)संसद/2010 पार्ट-4]

राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, October 08, 2020

S.O.381 .-In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 4.- In rule 4 of the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, for the existing expression "Rs. 30,000/- per month with effect from 1st April, 2019", the expression "Rs. 50,000/- per month with effect from 1st October, 2020" shall be substituted.

[No. F. 22(1)Sansad/2010 Part-IV]
By Order of the Governor,
Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.